

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 18.09.2019

राजस्थान जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 11 व 12) बजट आवंटन।
प्रसंग : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ3(2)(7)/बजट/
छात्रअजजा/सा.न्या.अ.वि./2019-20/6262 दिनांक 6.8.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 11 व 12) के वर्ष 2018-19 के शेष रहे लाभार्थियों को राज्य मद का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक को लेखामद 2225-02-796-06-01 13 राज्य निधि मद में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	2018-19	
			संख्या	राशि
1	ALWAR	6452	400	920000
2	BANSWARA	21127	2000	4600000
3	BARAN	21800	300	690000
4	BHILWARA	17971	400	-920000
5	DAUSA	8914	500	1150000
6	DUNGARPUR	20897	1500	3450000
7	JAIPUR	10196	700	1610000
8	JHALAWAR	22087	300	690000
9	KARALI	8055	300	690000
10	PRATAPGARH	22191	500	1150000
11	S.MADHOPUR	8468	500	1150000
12	SIROHI	14800	27	62100
13	TONK	16781	400	920000
14	UDAIPUR	20688	868	1996400
		TOTAL	8695	19998500

(अखरे रूपये एक करोड़ निनयानवे लाख अठ्यानवे हजार पांच सौ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
4. राशि का आवंटन वर्ष 2018-19 के वंचित विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 के शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कमांक : शिविरा-माध्य / छाप्रोप्र / बजट आवंटन / 2019-20

दिनांक : 18.09.2019

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
वीकानेर